देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2024 / 2161 दिनांक : 18 OCT 2024

/ /अधिसूचना/ /

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सत्र 2025-26 में केवल विधि संकाय के अन्तर्गत संचालित होने वाले एलएलबी.(ऑनर्स) / बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स) / बी.कॉम.एलएल.बी.(ऑनर्स) / बी.बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स) / एलएल.एम. पाठ्यकमों की नवीन सम्बद्धता / अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / सीट वृद्धि / पूर्व वर्षो से संचालित पाठ्यकमों की निरंतरता हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल तथा बी.सी.आई. नई दिल्ली की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण दस्तावेज (आवश्यक प्रपत्रो) के साथ MP Online के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क, 18 % जी.एस.टी. सहित जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

क्र.	विषय	विश्वविद्यालय में MP Online के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
1	महाविद्यालयों में विधि संकाय के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त पाठ्यकमों की सत्र 2025–26 में अस्थाई सम्बद्धता /नवीनीकरण /निरंतरता /नवीन सम्बद्धता प्राप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की तिथि।	30 अक्टूबर 2024
2	25 % अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित (with late fees) आवेदन करने की अंतिम तिथि	15 नवम्बर 2024
3	पृष्ठ कं.–2 पर संलग्न दिशा निर्देश अनुसार ऑनलाईन दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि।	15 नवम्बर 2024

सभी प्रकार के आवेदन MP Online के माध्यम से विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस हेतु महाविद्यालय सम्पूर्ण आवेदनपत्र (PART-A) मय संलग्नको / प्रस्तुत दस्तावेजों को प्राचार्य / संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर, महाविद्यालय की सील सहित साफ / पठनीय स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अपलोड किए गए दस्तावेजों को व्यवस्थित फाईल / फोल्डर में तालिकानुसार फ्लेग लगाकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्धता / नवीनीकरण एवं बी.सी.आई. की अनुमति प्राप्त किये बगैर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्था की होगी एवं ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जावेगी। इसमें विश्वविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों की भी सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी ।

ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा नहीं करने तथा दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर नवीन सम्बद्धता / पूर्व वर्षो से संचालित पाठ्यकमों की अस्थाई सम्बद्धता / नवीनीकरण / निरंतरता प्रकरण पर कार्यवाही नही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय / संस्था की होगी।

नोटः– महाविद्यालय शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि का प्रतिक्षा न करें, यदि महाविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि पर बैंकिंग, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन, सर्वरडाउन व अन्य किसी कारणवश शुल्क अगर निर्धारित अवधि में जमा नहीं हो पाता तो महाविद्यालय को विलम्ब शुल्क के साथ ही भुगतान करना होगा, उनके विलम्ब शुल्क माफ करने के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डी.डी. स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आदेशानुसार,
कुलसचिव

पृ.कं. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2024 / 2161 दिनांक : 18 OCT 2024

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य / संचालक, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय / अशासकीय विधि महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोती तबेला केम्पस इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलपतिजी के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. एम.पी.ऑनलाईन प्रभारी, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
7. सम्पादक, दैनिक ———————————— की ओर भेजते हुए निवेदन है कि आपके लोकप्रिय दैनिक के समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

डी.सी.डी.सी.